

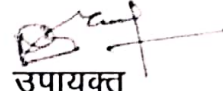
कार्यालय, नगर पालिक निगम, भिलाई

क्रं./एफ-214/1/सा.प्र.वि./2025/669

भिलाई, दिनांक 28/5/25

//आदेश//

श्रीमती शांता बाई पति स्व० श्री गणेशु राम, फिल्ड वर्कर की अधिवार्षिकी आयु दिनांक 01.07.2025 को 62 वर्ष पूर्ण होने के फलस्वरूप छत्तीसगढ़ मूलभूत नियम 56 के अनुसार पूर्व माह की अंतिम तिथि दिनांक 30.06.2025 अपरान्ह को नगर पालिक निगम, भिलाई से सेवानिवृत्त किया जाता है।

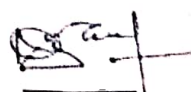

उपायुक्त
नगर पालिक निगम
भिलाई

पृ.क्र./एफ-214/1/सा.प्र.वि./2025/670

भिलाई, दिनांक 28/5/25

प्रतिलिपि :-

1. महापौर/अध्यक्ष, नगर पालिक निगम, भिलाई को सूचनार्थ।
2. आयुक्त, नगर पालिक निगम, भिलाई को सूचनार्थ।
3. मुख्य अभियंता, नगर पालिक निगम, भिलाई को सूचनार्थ।
4. अधीक्षण अभियंता, नगर पालिक निगम, भिलाई को सूचनार्थ।
5. उपायुक्त, नगर पालिक निगम, भिलाई को सूचनार्थ।
6. जोन आयुक्त, जोन क्रमांक 03 नगर पालिक निगम, भिलाई को सूचनार्थ।
7. लेखाधिकारी/जनसंपर्क अधिकारी, नगर पालिक निगम, भिलाई को सूचनार्थ।
8. कार्यालय अधीक्षक सामान्य प्रशासन विभाग, नगर पालिक निगम, भिलाई को सूचनार्थ।
9. प्रभारी सहायक अधीक्षक भविष्य निधि शाखा, नगर पालिक निगम, भिलाई को सूचनार्थ।
10. पेंशन लिपिक सामान्य प्रशासन विभाग, नगर पालिक निगम, भिलाई को सूचनार्थ।
11. प्रभारी स्थापना लिपिक, नगर पालिक निगम, भिलाई को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।
12. प्रभारी लिपिक डाटा सेंटर, नगर पालिक निगम, भिलाई को सूचनार्थ एवं निगम की वेबसाईट में अपलोड हेतु।
13. श्रीमती शांता बाई पति स्व० श्री गणेशु राम, फिल्ड वर्कर नगर पालिक निगम, भिलाई को सूचनार्थ।


उपायुक्त
नगर पालिक निगम
भिलाई